उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1
संख्या-- 1223/XVII(4)2021-5(28)2011
दिनांक 17 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमित करते हुए, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ (सुपरवाईजर) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्ते विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ (सुपरवाईज़र) सेवा नियमावली, 2021

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ (सुपरवाईजर) सेवा नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ (सुपरवाईजर) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित है।

परिभाषा 3 जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास (आई0सी0डी0एस0) अभिप्रेत है।

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के संविधान के भाग-II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है।

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है।

(ड) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।

(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली या इससे पूर्व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कि प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति है।

(च) "सेवा" से उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ (सुपरवाईजर) सेवा अभिप्रेत है।

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गयी हो, यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो तथा

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा संवर्ग

4 1 **सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।**

2 सेवा मे कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम(1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय,उतनी होगी जो परिशिष्ट–क में दी गयी हैं : परन्तु यह है कि,

(i) "नियुक्ति प्राधिकारी" किसी रिक्त पद को खाली छोड सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई या अस्थाई पद सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5 "सेवा" में सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(i) सुपरवाइजर के 50 प्रतिशत, पद महिला अभ्यर्थियों में से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) सुपरवाइजर के 40 प्रतिशत पद ऐसी कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों तथा 10 प्रतिशत पद ऐसी कार्यरत मिनी आंगनबाडी कार्यकर्तियों में से जो कि स्नातक या समकक्ष योग्यता धारित हों, और जिसने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर दस वर्ष की निरन्तर संतोषजनक मानदेय सेवा पूरी कर ली हो, मेरिट या विभागीय परीक्षा के द्वारा।

परन्तु यह कि यदि उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्तियों सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जा सकेंगी।

आरक्षण

6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग--चार

अहर्ताऍ

राष्ट्रीयता

7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी :--

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 01 जनवरी 1962 के पहले भारत आया हो, होना चाहिए या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), लंका तथा केनिया,

युगान्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) के पूर्वी अफीकी देशों से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी के लिए उप पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और ना ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है ; और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

परन्तु यह कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता	8	सेवा में सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :– **(1) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती हेतु :** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र अथवा समाज कार्य अथवा गृह विज्ञान अथवा पोषण और बाल विकास अथवा मनोविज्ञान में स्नातक उपाधि, अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष प्राप्त कोई उपाधि हो। **(2) कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती / मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ती से मेरिट या विभागीय परीक्षा के माध्यम से की जाने वाली भर्ती हेतु:** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
अनिवार्य / वांछनीय अर्हता	9	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिये अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार होगी।
अधिमानी अर्हता	10	1. कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय से स्नातक उपाधि समाज शास्त्र अथवा समाज कार्य अथवा गृहविज्ञान में प्राप्त की हो, को 01 अंक की वरीयता प्रदान की जायेगी। 2. सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी जिसने (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय केडिट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। उसे अन्य बातें समान होते हुए भी अधिमान दिया जायेगा।

ω

आयु 11 (1) सुपरवाइजर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिये विज्ञापित की जाती हैं, उस वर्ष की पहली जुलाई को समय-समय पर यथाविहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिये और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

(2) कार्यरत् आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ती की आयु जिस कैलेण्डर वर्ष में रिक्तियां भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा मेरिट या विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापित की जाती हैं, उस वर्ष की पहली जुलाई को न्यूनतम 31 वर्ष और अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिये तथा ऐसी आंगनबाडी कार्यकर्तियों/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्तियों ने इस रूप में 01 जुलाई को 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक मानदेय सेवा पूरी कर ली हो।

चरित्र 12 सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जिससे वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी:- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 13 सेवा में किसी पद पर ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हों, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

शारीरिक योग्यता 14 (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-II भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(2) कार्यरत् आँगनवाड़ी कार्यकर्ती तथा मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर के पद पर चयन हेतु किसी प्रकार का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष, 2016 भारत सरकार) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नही किया जायेगा।

LN

भाग–पाँच
भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 15 नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और **नियम–6** के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया 16(1) सुपरवाईजर के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र, आयोग द्वारा जैसा कि उसको अधिसूचित किया जाएगा, अर्हता रखने वाली महिला अभ्यर्थियों हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करके आमन्त्रित किए जाएंगे।

(2) (क) सुपरवाइजर के पद पर की जाने वाली सीधी भर्ती के लिए कुल 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी।

(ख)–(एक) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें कुल 100 अंकों का एक प्रश्न–पत्र होगा। प्रश्नपत्र में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन एवं निर्धारित शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित किये जायेंगें।

(दो) प्रश्न–पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर हेतु एक अंक दिया जायेगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे।

(तीन) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(चार) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (answer sheet) कार्बन प्रति के साथ duplicate में होगी तथा द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(पाँच) लिखित परीक्षा के उपरान्त लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (answer sheet) उत्तराखण्ड की वेब साइट www.uk.nic.in अथवा चयन आयोग की वेब साइट (जैसी भी स्थिति हो) पर अपलोड (upload) की जाएगी।

(3) लिखित परीक्षा के आधार पर समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये कुल अंकों को सारिणीबद्ध कर आयोग द्वारा एक प्रवीणता सूची (Merit list) बनायी जायेगी। इस प्रकार बनायी गयी प्रवीणता सूची में से **नियम–6** में उल्लिखित आरक्षण के अधीन आयोग अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा।

(4)यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हो, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा।

(5).सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 (पच्चीस) प्रतिशत से अनधिक होगी। आयोग द्वारा सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

17 मेरिट या विभागीय परीक्षा के आधार पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से की जाने वाली भर्ती की प्रक्रिया

(1) कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्तियों/मिनी कार्यकर्तियों से सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु विभाग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर केवल निर्धारित अर्हता रखने वाली आंगनबाडी कार्यकर्तियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ही आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जायेंगे।

(2) विभागीय चयन समिति द्वारा पूर्व निर्धारित शैक्षणिक मैरिट के अंकों या विभागीय परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाएगी।

(3) उक्त उपनियम (2) में उल्लिखित विभागीय चयन समिति निम्नलिखित रूप से गठित होगी–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक ....अध्यक्ष

(ii) उप निदेशक ....सदस्य सचिव

(iii) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ना हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकरी।

..............................सदस्य

(iv) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का न हो।

..................................सदस्य

(v) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जिला कार्यक्रम अधिकारी

...........................सदस्य

(vi) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो बाल विकास परियोजना अधिकारी (जिसमे से एक महिला अधिकारी हों)

.... सदस्य

(4) मेरिट के अंकों का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

(एक).शैक्षिक योग्यता हेतु अधिकतम –12 अंक
(हाईस्कूल से स्नातकोत्तर परीक्षा तक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी हेतु–क्रमशः 03, 02 तथा 01 अंक का प्राविधान होगा)

(दो).आंगनबाडी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ती को प्राप्त "आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राष्ट्रीय पुरस्कार" हेतु–06 अंक

(तीन).आंगनबाडी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ती को प्राप्त "आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राज्य पुरस्कार" हेतु–04 अंक

(चार).आंगनबाडी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती की 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त की गयी सेवा के लिए प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 01 (एक) अंक प्रदान किया जायेगा।

(पाँच) ऐसे कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिन्होने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय से स्नातक उपाधि, समाज शास्त्र अथवा समाज कार्य अथवा गृहविज्ञान में से किसी एक विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, को 01 अंक की वरीयता प्रदान की जायेगी।

(4) विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होगा, जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये तथा परीक्षा का आयोजन

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) मेरिट या विभागीय परीक्षा के आधार पर समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को सारिणीबद्ध कर एक प्रवीणता सूची (Merit list) बनायी जायेगी। इस प्रकार बनायी गयी प्रवीणता सूची में से नियम–6 में उल्लिखित आरक्षण के अधीन अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की जायेगी।

(6) यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हो, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 (पच्चीस) प्रतिशत से अनधिक होगी।

चयन समिति द्वारा सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

भाग–छः

नियुक्ति, परीवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता, सेवा समाप्ति

नियुक्ति

18 (1) उपनियम 02 की उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 16 एवं 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, की नियुक्तियां करेगा।

(2) सीधी भर्ती से नियुक्ति उपरान्त किसी भी दशा में गृह विकासखण्ड में तैनाती नहीं दी जायेगी।

(3) कार्यरत आँगनवाड़ी कार्यकर्ती तथा मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर के पद पर चयनित अभ्यर्थी, पदों की उपलब्धता पर, प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह विकासखण्ड सहित उनके गृह जनपद के अन्य विकासखण्डों में तैनात किये जा सकेंगे।

परिवीक्षा

19 (1) सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति (सीधी भर्ती/मेरिट या विभागीय परीक्षा के आधार पर दोनों रूप से चयनित) दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढाई गयी है, अवधि बढा सकता है , जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे।

परन्तु यह कि, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समप्ति अथवा परिवीक्षा की बढायी गयी अवधि में किसी परीवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का प्र्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नही है, तो उसकी संवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम 3 के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो ।

स्थायीकरण 20 (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति मे उसकी परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने:-

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो ,उत्तीर्ण कर ली हो :
(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो
(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो
(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है तथा
(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है ।

ज्येष्ठता 21 सेवा के किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली-2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

सेवा समाप्ति 22 सुपरवाइज़र के पद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पद है। यदि भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त कर दी जाती है अथवा पदों को समाप्त कर दिया जाता है, तो नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी अथवा राज्य सरकार इस सम्बन्ध में समय-समय पर जैसा अवधारित करेगी तत्समय परिचलित नियम सेवा समाप्ति पर लागू होंगे।

भाग-सात
वेतन आदि

वेतनमान 23 (1) सुपरवाइज़र के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुज्ञेय/अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान **परिशिष्ट** क के अनुसार होंगे ।

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन 24 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सेवा में नही है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात ,परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण किये जाने पर दी जायेगी ।

परन्तु, यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नही गिनी जायेगी ।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही शासकीय सेवा का पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा

विनियमित किया जायेगा ।

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है, तो जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतनवृद्दि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा ।

भाग—आठ

अन्य उपबन्ध

अधियाचन

25 किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा

अन्य विषयों का विनियमन

26 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

27 यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में, अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वे इस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी,या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्ण कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

परन्तु यह कि, कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है,वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा ।

व्यावृत्ति

28 इस नियामावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो ।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव